

P.

मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

62B

(20)

क्रमांक ई-टेण्डरिंग/बी/19/2009

भोपाल, दिनांक 6.11.2012

:- आदेश:-

लोक निर्माण विभाग में समस्त निविदायें ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित करने के संबंध में जारी म0प्र0शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक ई-टेण्डरिंग/बी/19/2009/442 दिनांक 3.5.2012 के अनुक्रम में एतद् द्वारा रू0 दस लाख लागत तक के निम्नानुसार कार्यों की अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करने हेतु ई-टेण्डरिंग की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाती है :-

- 1- विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के समय सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस के उन्नयन, हेलीपेड निर्माण, टेन्ट, बेरिकेटिंग व्यवस्था के कार्य ।
- 2- राज भवन, मान0 मुख्यमंत्री तथा मान0 मंत्रीगण एवं मान0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासों में वार्षिक संधारण एवं साज-सज्जा के कार्य ।
- 3- सांसद/विधायक निधि के कार्य ।
- 4- आपदा की स्थिति में पुर्नःस्थापना (रेस्टोरेशन) के कार्य ।

रूपये दो लाख से अधिक की निविदा राशि वाले कार्यों की निविदाओं का समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया जाना पूर्वानुसार रहेगा । उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजय सिंह वर्मा)
सचिव

म0प्र0शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल, दिनांक 6.11.2012

पृ.क्र. ई-टेण्डरिंग/बी/19/2009/11086
प्रतिलिपि:-

- 1- निज़ सचिव, माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग भोपाल ।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश शासन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय ।
- 3- प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम भोपाल ।
- 4- प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल ।
- 5- समस्त संभागायुक्त ।
- 6- समस्त कलेक्टर ।
- 7- समस्त मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग
- 8- समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग ।
- 9- समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ।

6/11/12
सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

6/11/12

सामान्य